न्यायालय, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, नवगछिया।

सत्र वाद संख्या – 780/2010

पश्चात्

25.08.2022 प्रस्तुत वाद के अभियुक्तगण मो0 जलील एवं मो0 हबीब की ओर से दाखिल जमानत आवेदन पत्र प्रचालित करते हुए आवेदक अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा कथन किया गया कि आवेदक अभियुक्तगण पूर्व से नियमित जमानत पर थे। उन्होंने जमानत का दुरुपयोग नहीं किया है। दिनांक 15.07.2022 को अभिलेख अन्य अभियुक्तों की उपस्थिति हेतु नियत था और आवेदक अभियुक्तगण की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रतिनिधित्व आवेदन दाखिल किया गया था, किन्तु प्रचालित न किए जाने के कारण न्यायालय द्वारा उक्त आवेदन अस्वीकृत कर एवं उनका बंधपत्र निरस्त कर गैर जमानतीय अधिपत्र जारी किया गया। जानकारी होने पर आवेदक अभियुक्तगण स्वेच्छा से न्यायालय में आत्म–समर्पण किये हैं। आगे निवेदन करते हैं कि आवेदक अभियुक्तगण ने जानबुझकर जमानत का दुरूपयोग नहीं किया है। आवेदक अभियुक्तगण यह भी वचन देते हैं कि वे कांड के निष्पादन तक प्रत्येक तिथि को उपस्थित रहेंगे और ऐसी भूल की पुनरावृत्ति नहीं करेंगे। अतः आवेदक अभियुक्तगण को जमानत पर मुक्त करने की प्रार्थना करते हैं।

अभियोजन पक्ष की ओर से अनुरोध किया गया है कि प्रस्तुत वाद में उक्त अभियुक्तगण की उपस्थिति से वाद में उपस्थिति पूर्ण हो गई है और उनके विरुद्ध आरोप गठित किया जा चुका है। अतः उचित आदेश पारित करने की प्रार्थना करते हैं।

उभय पक्षों को सुनने के उपरांत अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि आवेदक अभियुक्तगण पूर्व मे जमानत पर थे तथा दिनांक 15.07.2022 को प्रस्तुत वाद अन्य अभियुक्तों की उपस्थिति हेतु नियत था और आवेदक अभियुक्तगण की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रतिनिधित्व आवेदन दाखिल किया गया था, किन्तु प्रचालित न किए जाने के कारण न्यायालय द्वारा उक्त आवेदन अस्वीकृत कर एवं उनका बंधपत्र निरस्त कर गैर जमानतीय अधिपत्र जारी किया गया। आवेदक अभियुक्तगण स्वेच्छा से न्यायालय में आत्म–समर्पण किये हैं। प्रस्तुत वाद में आरोप गठित किया जा चुका है। आवेदक अभियुक्तगण की ओर से कहा गया है कि भविष्य में इस प्रकार की गलती नहीं होगी तथा प्रस्तुत वाद के निष्पादन तक न्यायालय द्वारा नियत प्रत्येक तिथि को न्यायालय मे सदेह उपस्थित रहेंगे।

उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में आवेदक अभियुक्तगण को जमानत पर मुक्त करना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः आवेदक अभियुक्तगण मो0 जलील एवं मो0 हबीब के द्वारा मो0 – 10,000/– रूपये के समतुल्य राशि के दो प्रतिभुओं का बंध पत्र दाखिल करने पर इस शर्त के साथ जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है कि आवेदक अभियुक्तगण प्रस्तुत वाद के निष्पादन तक प्रत्येक तिथि को न्यायालय के समक्ष सदेह उपस्थित रहेंगे।

ह0/–
अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम,
नवगछिया, भागलपुर।